| आदेश का क्रमांक/तिथि | आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर | की गई कार्रवाई पर टिप्पणी |
|---|---|---|

अभिलेख उपस्थापित। खास सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। जो अभिलेख मे संलग्न है। जमाबंदी रैयत पौलूस मुण्डा पिता नाहूम मुण्डा के द्वारा प्रश्नगत भूमि से संबंधित साक्ष्य के रूप में कोई भी कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ ही राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन (चेकलिस्ट) प्राप्त है , जो बिन्दुवार निम्नवत है:—

**खतियान की स्थिति**:— मौजा बाला, थाना नं0 33 के सर्वे खतियान में खाता सं0 104 गैरमजुरूआ खास दर्ज है।

**पंजी ii की स्थिति** :— मांग पंजी ii पृष्ट सं0 61 में दर्ज जमाबंदी रैयत पौलूस मुण्डा के नाम से खाता सं0 104/4 रकबा 0.06 एकड़ दर्ज है पंजी II में जमाबंदी का कोई आधार दर्ज नहीं है। जमाबंदी रैयत के द्वारा बंदोबस्ती का परवाना प्रस्तुत नहीं किया गया है। तथा बंदोबस्ती पंजी में इस नाम से कोई बन्दोबस्ती दर्ज नहीं है। पंजी II रैयत का उक्त भूमि पर दखल कब्जा ~~साफ~~ नहीं है। जमाबंदी रैयत के वंशज या अन्य कोई व्यक्ति सुनवाई के क्रम में उपस्थिति नहीं दी गई।

राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदनानुसार पंजी II के पृष्ट सं0 61 पर दर्ज खाता सं0 104/4 रकबा 0.06 एकड़ भूमि का साक्ष्य के रूप में अधिकारिक दस्तावेज उपलब्ध नही होने के कारण उक्त भूमि की जमाबंदी रद्द करने की अनुशंसा की गई है।

अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर मौजा बाला थाना नं0 33 खाता सं0 104/4 रकबा 0.06 एकड़ भूमि को BLR ACT 1950 की धारा 4 (h) के तहत रद्द करने की अनुशंसा की जाती है।

अभिलेख अग्रेतर कार्रवाई हेतु भूमि सुधार उप समाहर्ता खूँटी को भेजे।
लेखापित, संशोधित।

29/10/2020

अंचल अधिकारी
कर्रा।

29/10/2020

अंचल अधिकारी
कर्रा।